



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 184]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

सा.का.नि. 239(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1096(अ), तारीख 28 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के नियम 3 के अधीन सारणी में, स्तंभ (4) में “62(2)” के स्थान पर “62(3)” पढ़ा जाए।

[फा. सं. आरटी-11028/15/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th March, 2017

G.S.R. 239(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1096(E) dated the 28th November, 2016, in the table under rule 3, in the column (4), for “62(2)” read “62(3)”.

[F. No. RT-11028/15/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.